एम.के अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
30, निशांत कुंज, पीतमपुरा,
नई दिल्ली - 110034
फोन: 011 - 47517171
ई-मेल: mka@mkac.in

गांधी मिनोचा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार,
बी-6, शक्ति नगर एक्सटेंशन,
नई दिल्ली - 110052
फोन: 011 - 27303078, 42273690
ई-मेल: gandhica@yahoo.com

सीमित समीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक मंडल

हमने सेबी (सूचीकरण बाध्यता तथा प्रकटन की आवश्यकता) विनियम 2015 के विनियम 33 की आवश्यकता के अनुसरण में कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे तिमाही तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के गैर लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के संलग्न विवरण की समीक्षा की है। प्रबंधन इस विवरण को तैयार करने तथा निष्पक्ष ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है तथा इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। हमारी जिम्मेदारी अपनी समीक्षा के आधार पर इस अंतरिम वित्तीय सूचना पर रिपोर्ट जारी करने की है।

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए समीक्षा भागीदारी पर मानक (एसआरई) 2410 "संस्था के स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अंतरिम वित्तीय सूचना की निष्पादित समीक्षा" के अनुसरण में अपनी समीक्षा संचालित की है। यह मानक अपेक्षा करता है कि हम इस संबंध में साधारण आश्वासन प्राप्त करने की योजना बनाएं और समीक्षा निष्पादित करें कि क्या अंतरिम वित्तीय सूचना सारवान मिथ्या कथन से मुक्त है। समीक्षा प्राथमिक रूप से कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा समीक्षा की विश्लेषण एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रयोग करने तक सीमित होती है। समीक्षा का दायरा लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसरण में संचालित लेखा परीक्षा के दायरे से सारवान रूप से कम होता है और परिणामत: हमें यह आश्वासन प्राप्त करने में समर्थ नहीं बनाता है कि हम ऐसे सभी सारवान मामलों से अवगत हो सकें जो किसी लेखा परीक्षा में चिह्नित किए जा सकते हैं। तद्नुसार हम कोई लेखा परीक्षा राय व्यक्त नहीं करते हैं।

उपर्युक्त के अनुसार संचालित हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसके आधार पर हम यह विश्वास करें कि कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा लेखांकन की अन्य मान्यता प्राप्त प्रथाओं एवं नीतियों के तहत निर्धारित लेखांकन मानक 25 "अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग" में निर्धारित मान्यता एवं मापन के सिद्धांतों के अनुसरण में तैयार किए गए गैर लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के संलग्न विवरण ने सेबी (बाध्यताओं की सूचीबद्धता तथा प्रकटन की आवश्यकता) विनियम 2015 के विनियम 33 की शर्तों के तहत अपेक्षित किसी सूचना का खुलासा नहीं किया है जिसमें प्रकटन करने का ढंग शामिल है, अथवा यह कि इसमें कोई सारवान मिथ्या कथन है।

कृते एम के अग्रवाल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर : 001411N
हस्ताक्षरकर्ता :

सीए एम के अग्रवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 014956

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण नंबर : 000458N
हस्ताक्षरकर्ता :

सीए मनोज भारद्वाज
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 098606

दिनांक : 12 फरवरी 2018
स्थान : नई दिल्ली

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ऊर्जा निधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, वेबसाइट : http://www.pfcindia.com

सीआईएन L65910DL1986GOI024862

31 दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही तथा 9 माह के लिए अनंकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों का विवरण

(करोड़ रुपए में)

	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		12/31/2017	9/30/2017	12/31/2016	12/31/2017	12/31/2016	3/31/2017
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	**प्रचालनों से राजस्व**						
	ब्याज	6,127.46	6,897.06	6,827.36	19,804.34	20,756.31	26,270.08
	अन्य प्रचालन आय	17.44	30.47	43.48	62.89	109.33	129.81
	अन्य वित्तीय सेवाएं	49.87	105.89	139.33	241.34	178.52	316.34
		6,194.77	**7,033.42**	**7,010.17**	**20,108.57**	**21,044.16**	**26,716.23**
2.	**अन्य आय**	125.82	75.15	52.91	252.49	177.34	302.34
3.	**कुल आय (1 + 2)**	**6,320.59**	**7,108.57**	**7,063.08**	**20,361.06**	**21,221.50**	**27,018.57**
4.	**व्यय**						
	वित्त लागतें	4,359.49	4,308.20	4,061.68	12,823.86	12,333.25	16,432.69
	बॉड निर्गम व्यय	6.20	6.35	3.29	18.32	17.62	26.58
	कर्मचारी लाभ व्यय	37.07	36.15	28.90	111.66	80.54	114.97
	प्रावधान	(239.86)	101.48	120.14	253.83	621.75	5,101.08
	निवेश के मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान	20.49	20.49	-	61.46	(27.02)	(7.51)
	मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	1.87	1.39	1.39	4.45	3.92	5.56
	सीएसआर व्यय	-	-	-	149.21	166.15	166.15
	अन्य व्यय	22.98	18.84	27.73	56.84	51.19	67.79
	पूर्व अवधि की मदें (निवल)	-	0.06	0.65	0.07	1.08	1.47
	कुल व्यय	**4,208.24**	**4,492.96**	**4,243.78**	**13,479.70**	**13,248.48**	**21,908.78**
5.	**असाधारण एवं आपवादिक मदों एवं कर पूर्व लाभ(3-4)**	**2,112.35**	**2,615.61**	**2,819.30**	**6,881.36**	**7,973.02**	**5,109.79**
6.	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-
7.	**असाधारण एवं आपवादिक मदों एवं कर पश्चात लाभ(5-6)**	**2,112.35**	**2,615.61**	**2,819.30**	**6,881.36**	**7,973.02**	**5,109.79**
8.	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-
9.	**कर पूर्व लाभ (7-8)**	**2,112.35**	**2,615.61**	**2,819.30**	**6,881.36**	**7,973.02**	**5,109.79**
10.	**कर व्यय**						
	(1) वर्तमान कर						
	वर्तमान वर्ष	587.49	721.63	965.02	2,046.60	2,417.80	3,074.39
	पिछले वर्ष	-	-	(13.09)	-	(13.12)	(0.09)
	(2) आस्थगित कर देयता (+) / परिसंपत्ति (-)	(79.57)	7.39	(82.54)	(84.86)	32.46	(90.90)
11.	**प्रचालनों को जारी रखने से अवधि के लिए लाभ(घाटा)(9-10)**	**1,604.43**	**1,886.59**	**1,949.91**	**4,919.62**	**5,535.88**	**2,126.39**
12.	**संदत्त इक्विटी शेयर पूंजी(शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपए है)**	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08	2,640.08
13.	**पुनर्मूल्यांकन की आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधि (31 मार्च तक अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	33,830.13
14.	**प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपए) (वार्षिकीकृत नहीं)**						
	(1) बेसिक (रुपए)	**6.07**	**7.15**	**7.39**	**18.63**	**20.97**	**8.05**
	(2) तनुकृत (रुपए)	**6.07**	**7.15**	**7.39**	**18.63**	**20.97**	**8.05**

कृपया वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न नोट देखें

टिप्पणी :

1	31 दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही तथा 9 माह के लिए कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली 2016 के अनुसरण में तैयार किए गए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा एवं सिफारिश की गई है तथा 12 फरवरी 2018 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इनकी संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक एम के अग्रवाल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार तथा गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।
2	(क) उपर्युक्त (4) के प्रावधानों में शामिल है : (i) मानक परिसंपत्तियों के बकाया शेष पर वर्तमान तिमाही के लिए 325.67 करोड़ रुपए तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के लिए 775.06 करोड़ रुपए (समतुल्य पिछली तिमाही तथा 9 माह के लिए क्रमश: 32.02 करोड़ रुपए और 80 करोड़ रुपए) का मानक परिसंपत्ति प्रावधान। (ii) वर्तमान तिमाही के लिए 87.27 करोड़ रुपए तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के लिए 995.57 करोड़ रुपए (समतुल्य पिछली तिमाही और 9 माह के लिए क्रमश: 36.93 करोड़ रुपए और 66.26 करोड़ रुपए) का पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति प्रावधान। 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया अर्हक पुनर्गठित / पुन: अनुसूचित / पुन: वार्ताकृत (आर/आर/आर) ऋण की राशि निजी क्षेत्र में 15783.94 करोड़ रुपए और सरकारी क्षेत्र में 40852.42 करोड़ रुपए (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र में 19445.92 करोड़ रुपए और सरकारी क्षेत्र में 35994.70 करोड़ रुपए), और (iii) वर्तमान तिमाही के लिए 478.25 करोड़ रुपए तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के लिए 1316.80 करोड़ रुपए (समतुल्य पिछली तिमाही एवं 9 माह के लिए क्रमश: 51.19 करोड़ रुपए और 475.50 करोड़ रुपए) का गैर निष्पादन परिसंपत्ति प्रावधान। 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार सकल गैर निष्पादन परिसंपत्ति की राशि 14978.78 करोड़ रुपए है (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार यह राशि 30718.61 करोड़ रुपए है)। इन एनपीए में 5577.50 करोड़ रुपए का राज्य क्षेत्र को ऋण शामिल है (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 23309.30 करोड़ रुपए) तथा 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार ओवरड्यू शून्य है परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन के मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (ख) उपर्युक्त (क) के प्रावधानों में प्रभाव शामिल है जिस पर नीचे बिंदु (क) से (च) में चर्चा की गई है। (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन के मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत राज्य क्षेत्र के दो ऋणग्राहियों के ऋण खातों को वर्तमान तिमाही तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के दौरान मानक / पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के रूप में अपग्रेड किया गया है। तद्नुसार वर्तमान तिमाही तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के लिए क्रमश: 674.82 करोड़ रुपए और 1773.94 करोड़ रुपए के एनपीए प्रावधान को रिवर्स किया गया है तथा अपेक्षित प्रावधान को अनुरक्षित किया गया है। (घ) पारेषण एवं वितरण, जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण से संबंधित परियोजनाओं तथा कार्यकाल विस्तार की परियोजनाओं तथा हिमालयन क्षेत्र में अथवा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं पर कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन के मानदंडों के अनुसार 30 जून 2017 को समाप्त तिमाही में लेखांकन की नीति में परिवर्तन किया था। तद्नुसार, (i) एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण लेखा 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार 419.26 करोड़ रुपए है। परिणामत: • वर्तमान तिमाही के लिए 13.67 करोड़ रुपए और 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के लिए 38 करोड़ रुपए की ब्याज आय को मान्य किया गया है; और • वर्तमान तिमाही के दौरान 0.39 करोड़ रुपए तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के दौरान 40.25 करोड़ रुपए के ऐसे ऋणों पर अतिरिक्त प्रावधान का सृजन किया गया है। (ii) वर्तमान तिमाही के दौरान 54.91 करोड़ रुपए के अधिशेष वाली मानक परिसंपत्तियों और 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के दौरान 576.91 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है जिससे वर्तमान तिमाही में 2.56 करोड़ रुपए और 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह में 26.54 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान सृजित हुआ है। (ड.) 31 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार 10161.73 करोड़ रुपए की ऋण परिसंपत्तियों (मानक / पुनर्गठित मानक) के मामले में एसडीआर / ओएसडीआर / एस4ए योजना का सहारा लिया गया है। परिणामत: इस योजना के अनुसार वर्तमान तिमाही तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के दौरान क्रमश: 653.68 करोड़ रुपए और 994.33 करोड़ रुपए की ब्याज आय को मान्य नहीं किया गया है। 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार इन लेखाओं में प्रावधानित राशि 957.36 करोड़ रुपए है जिसमें वर्तमान तिमाही तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के दौरान क्रमश: 303.87 करोड़ रुपए और 665.49 करोड़ रुपए के किए गए प्रावधान शामिल हैं। (च) प्रस्तावित डीमर्जर को ध्यान में रखते हुए एनपीए लेखा में वर्तमान तिमाही में 173.66 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का सृजन किया गया है।

3	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 17 जून 2015 के माध्यम से अंतरिम स्टे को ध्यान में रखते हुए तथा कानूनी राय लेने के बाद 31 दिसंबर 2017 तक की स्थिति के अनुसार एक ऋणग्राही के ऋण खाते के परिसंपत्ति वर्गीकरण को मानक के रूप में अनुरक्षित किया गया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही से कंपनी ने इस लेखा में प्रोद्भूत किंतु वसूली न गई आय को मान्य नहीं किया है। तदनुसार, (i) वर्तमान तिमाही एवं 9 माह के दौरान क्रमश: 204.26 करोड़ रुपए और 363.76 करोड़ रुपए के प्रोद्भूत तथा वसूले न गए ब्याज / आय को मान्य नहीं किया गया है (31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से 776.79 करोड़ रुपए), और (ii) इसके अलावा पिछली तिमाही से जारी रखते हुए इस लेखा में प्रावधान को 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार 515.47 करोड़ रुपए के 10 प्रतिशत पर अनुरक्षित किया गया है (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 163.17 करोड़ रुपए)।
4	वर्तमान तिमाही के दौरान भारत सरकार ने नए निधि प्रस्ताव के सिलसिले में कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों में से 11415287 शेयर भारत 22 ईटीएफ की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) को अंतरित किया है। तदनुसार कंपनी में भारत सरकार के शेयरों का प्रतिशत संदत्त इक्विटी पूंजी के 66.35 प्रतिशत से घटकर 65.92 प्रतिशत हो गया है।
5	वर्तमान तिमाही के दौरान, इसकी अवधि में दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने के सिलसिले में किए गए व्यवस्था शुल्क के परिशोधन के लिए लेखांकन नीति तैयार की गई है। तदनुसार वर्तमान तिमाही एवं 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के लिए कर पूर्व लाभ में 36.93 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।
6	कंपनी ऋण करार समझौता के अनुसार केएफडब्ल्यू, जर्मनी से ऋण के मामले में विनिमय दर में अंतर को ब्याज विभेदीकृत निधि लेखा - केएफडब्ल्यू में अंतरित कर रही है। ब्याज विभेदीकृत निधि के स्वरूप के संबंध में केएफडब्ल्यू, जर्मनी से मांगे गए स्पष्टीकरण के आधार पर लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया है जिससे वर्तमान तिमाही और 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के लिए कर पूर्व लाभ में 0.83 करोड़ रुपए की घटोत्तरी हुई है। इसके अलावा 64.64 करोड़ रुपए की आईडीएफ देयता को केएफडब्ल्यू, जर्मनी से पुष्टि के अनुसार रिवर्स किया गया है।
7	कंपनी उने कार्यकाल में दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदों पर विनिमय दर में अंतरों का परिशोधन करती है। परिणामत: 31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा (एफसीएमआईटीडीए) के तहत परिशोधित ऋण शेष 419.31 करोड़ रुपए है (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ऋण शेष 647.56 करोड़ रुपए था)।
8	31 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी द्वारा जारी किए गए तथा बकाया सभी प्रतिभूत बांडों के लिए, निर्दिष्ट अचल संपत्तियों पर बंधक और / या कंपनी की प्राप्त राशियों में परिवर्तन के रूप में 100 प्रतिशत सुरक्षा कवर अनुरक्षित किया गया है।
9	निदेशक मंडल तथा प्रबंध संरचना को आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई प्रणाली के अनुसरण में व्यवसाय के सेगमेंट की पहचान की गई है। कंपनी का प्राथमिक कार्य विद्युत क्षेत्र को वित्त प्रदान करना है जो लेखांकन मानक - 17 के संदर्भ में केवल प्राथमिक व्यवसाय सेगमेंट माना गया है। अत: सेगमेंट के आधार पर रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
10	31 दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31 दिसंबर 2017 को समाप्त 9 माह के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों तथा 30 सितंबर 2017 को समाप्त छमाही के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलन स्थापित करने वाले आंकड़ें हैं।
11	वर्तमान अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पिछली अवधि के आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध / पुन: वर्गीकृत किया गया है, जहां आवश्यक था।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12 फरवरी, 2018

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413